

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर

क्रमांक:- 3807

दिनांक:- 15/11/22

श्रीमान् उपवन संरक्षक,
वन विभाग,
सीकर

विषय:- Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Construction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil - Sikar, District Sikar, Rajasthan.


(Online Proposal No. FP/RJ/ROAD/52178/2020)

प्रसंग:- श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प. 1(76)वन/2021 दिनांक 27.10.2021 एवं आपका पत्रांक एफ 0 एफसीए/उवसंसी/2021-22/12998 दिनांक 17.12.2021 के क्रम में।


महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत एवं प्रसांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त वन भूमि प्रत्यावर्तन की सैद्धान्तिक स्वीकृति श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021 दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी की गई थी। उक्त सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में आप द्वारा चाही गई अनुपालना निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	बिन्दु	अनुपालना
1	2	3
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। शर्त की पालना में अण्डरटेकिंग प्रस्तुत करे।	उक्त कार्य से वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल / वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)


Executive Engineer
PWD Dn. I, Sikar


6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।(अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।(अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
8	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जायेगा।	सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सटिफिकेट प्रस्तुत है। (प्रति संलग्न है।)
9	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रोड एवं वन सीमा के बीच की जगह को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित/संधारित किया जायेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रोड एवं वन सीमा के बीच की जगह को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित/संधारित किया जायेगा। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
10	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना की जावेगी। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
11	प्रयोक्ता अभिकरण के व्यय पर वन विभाग द्वारा शून्य से 10 वृक्षों का पातन होने पर 100 वृक्षों तथा 10 से अधिक वृक्षों का पातन होने पर पातन किये जाने वाले वृक्षों का दस गुना संख्या में वृक्षों का वृक्षारोपण एवं 10 वर्षों तक रखरखाव किया जायेगा। इस हेतु प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान दरों को समाहित करते हुये राशि वेबपोर्टल OSMFWP (Online Submission & Monitoring of Forest & Wildlife Clearance Portal) द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा की जायेगी।	श्रीमान शासन सचिव, वन विभाग जयपुर के द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति क्रमांक प.1 (76) वन/2021 दिनांक 27.10.2021 के क्रम में कार्यालय उपवन संरक्षक, सीकर के पत्रांक एफ () एफसीए/उवसंसी/2021-22/12998 दिनांक 17.12.2021 के द्वारा जारी निर्देशानुसार क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 1.00 है. गैर वन भूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु राशि (वर्तमान दरों को समाहित करते हुए) एवं 10 वर्ष तक रखरखाव हेतु राशि रु 1,95,787.00 कैम्पा फण्ड में बिल संख्या 11571 दिनांक 08.03.2022 बैंक खाता संख्या 150856129601790 आईएफएससी कोड UBIN09037810 लोदी कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है।
12	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के रिट पिटीशन (सिविल) 202/1995 के अन्तर्गत आई.ए. संख्या 566 एवं भारत सरकार के पत्र संख्या 5-3/2007-एफ.सी. दिनांक 05.02.2009 तथा पत्र 12-2/2010 - CAMPA दिनांक 09.06.2016 में दिये गए आदेशानुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की निर्धारित राशि जमा की जायेगी। उपरोक्त अनुदेशों के	शर्त संख्या 12 की पालना में एनपीवी राशि 0.85 Ha. x 6.26 Lac Per Ha. = 5,32,100.00 कैम्पा फण्ड में बिल संख्या 11571 दिनांक 08.03.2022 बैंक खाता संख्या 150856129601790 आईएफएससी कोड UBIN09037810 लोदी कॉम्प्लेक्स नई दिल्ली में जमा करवा दिये गये है जिसके UTR No. RBI0712260113973 है। (प्रति संलग्न है।)


(Mahendra Singh)
 Executive Engineer
 PWD Dn. I, Sikar

	अनुसार शुद्ध वर्तमान मूल्य तथा दूसरी सभी निधियां प्रतिपूर्ति पौधारोपण निधि प्रबंधन तथा योजना प्राधिकरण के तदर्थ निकाय के वेबपोर्टल OSMFWP द्वारा सृजित ई-चालान द्वारा जमा करायी जायेगी। जिसके उपरांत ई-चालान की छाया प्रति, जमा की गई धनराशि का बैंक चालान/यूटीआर संख्या/ एनईएफटी नम्बर की छाया प्रति सहित सैद्धान्तिक स्वीकृति की अनुपालना आख्या (जिसमें जमा की गई राशि का गदवार विवरण हो) प्रेषित की जाए, तदोपरांत विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	
13	प्रयोक्ता अभिकरण इस आशय का वचनबद्धता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करेंगे कि सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा की जाएगी।	सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। (अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
14	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करवा लिया जावेगा।(अण्डर टेकिंग संलग्न है।)
15	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/ एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना, प्रकरण में सुनिश्चित की गई है तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया गया है एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गयी है। (समाचार पत्र की प्रति संलग्न है।)

रिपोर्ट श्रीमान्जी को अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रस्तुत है।

भवदीय


(महेन्द्र सिंह)

अधिषाषी अभियन्ता

सानिवि खण्ड प्रथम सीकर

दिनांक:-

क्रमांक:-

प्रतिलिपि श्रीमान् अधीक्षण अभियन्ता, सानिवि वृत्त सीकर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

अधिषाषी अभियन्ता
सानिवि खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Construction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“उक्त कार्य से वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा”


(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Construction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा”



(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Consruction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।”


(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

Check List-4

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Consruction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावेगा। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड़ परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें।”



(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Consruction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।”



(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Consruction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। ”



(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Consruction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। ”



(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Consruction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा रोड एवं वन सीमा के बीच की जगह को ग्रीन बेल्ट के रूप में विकसित/संधारित किया जायेगा। ”



(महेंद्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Construction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“ प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालन की जावेगी। ”



(महेंद्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Construction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“ सक्षम स्तर से यदि एन.पी.वी. की दरों में बढ़ोतरी होती है तो बढी हुई धन राशि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा नियमानुसार जमा करवा दी जावेगी। ”


(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर

कार्यालय अधिशाषी अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, खण्ड प्रथम सीकर


अण्डर टेकिंग

Proposed Diversion of 0.85 ha. forest land in favour of Public Works Department Sikar for Construction of road near village- Kolida to Krishan Nagar, forest block Poshani P.F. Range Sikar, Tehsil – Sikar, District Sikar, Rajasthan.

श्रीमान् शासन सचिव, वन विभाग राजस्थान सरकार के पत्र क्रमांक प.1(76)वन/2021

दिनांक 27.10.2021 द्वारा जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति के क्रम में निवेदन है कि :-

“ राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन, संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा करवा लिया जावेगा। ”



(महेन्द्र सिंह)

अधिशाषी अभियन्ता
सा.नि.वि., खण्ड प्रथम सीकर